



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

राजकिशोर प्रजापति

बनाम गोविन्द प्रजापति

५४

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
	<p>अभिलेख सं०-एम.....५३/२०१८ धारा-१०७ द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-१३/१८ दिनांक-१८-५-१८ प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि उभय पक्ष में छमि विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं मायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-१०७ के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए चरसे/जनसे प्रत्येक को १०००(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र चरसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि २५-५-१८ को तदस्थानित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p align="center">छमिलखत उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थापित। उभय पक्ष जवाब दाखिल के। दिनांक १५-०६-१८ को रखे।</p>	

२५-०५-१८

२५/५/१८

दिशि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

है कि उपरोक्त वाद का अर्पण को
तीन माह का विस्तार करने की कृपा
किया जाय।

प्रथम पत्र के द्वारा अभिहित आवेदन
को अस्वीकृत किया जाता है। दिनांक
07-12-18 को रखे।

[Signature]
07/12/18

07-12-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अधिवक्ता हाजरी दिवस पत्र उपस्थापित।
उक्त वाद में 6 (छ) माह की अर्पण प्रणी
है इसकी हे अर्थात् वाद कालवापित ही
जाया है। उक्त वाद में अभिलेख की
कारवाही बन्द की जाती है।

[Signature]
07/12/18